छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
अधिसूचना सं0 13/2017 - राज्य कर (दर)

नया रायपुर, दिनांक : 28.06.2017

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(81) - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्गों पर, जिनकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है, उक्त छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर का संदाय, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर किया जाएगा :–

सारणी

क्र.सं.	सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्ग	सेवा का पूर्तिकार	सेवा का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	किसी माल परिवहन अभिकरण (जीटीए) द्वारा माल के सड़क द्वारा निम्नलिखित को परिवहन की बाबत सेवाओं की पूर्ति - (क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके द्वारा किसी भी कारखाने को ; या (ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत	माल परिवहन अभिकरण (जीटीए)	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित,-- (क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके द्वारा किसी भी कारखाने को ; या (ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या (ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी सोसाइटी को ; या

Scanned by CamScanner
www.taxguru.in

(ग) करादेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऐसे किसी कारबार अस्तित्व को, जो यथास्थिति, मुकदमेबाज, आवेदक या याची है, ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विधिक सेवाएं प्राप्त करता है ।

(घ) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो इस अधिसूचना में परिभाषित नहीं हैं, किंतु केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उन अधिनियमों में उनका है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(हस्ताक्षर)
(ए.पी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 28.06.2017

क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(81), दिनांक 28.06.2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(हस्ताक्षर)
(ए.पी. त्रिपाठी)
विशेष सचिव

Scanned by CamScanner
www.taxguru.in

Government of Chhattisgarh
Commercial Tax Department
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Notification No. 13/2017- State Tax (Rate)

Naya Raipur, dated : 28.06.2017

No. F-10- 43/2017/CT/V (81)-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government on the recommendations of the Council hereby notifies that on categories of supply of services mentioned in column (2) of the Table below, supplied by a person as specified in column (3) of the said Table, the whole of state tax leviable under section 9 of the said Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the such services as specified in column (4) of the said Table:-

Table

Sl. No.	Category of Supply of Services	Supplier of service	Recipient of Service
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Supply of Services by a goods transport agency (GTA) in respect of transportation of goods by road to- (a) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948);or (b) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or (c) any co-operative society established by or under any law; or (d) any person registered under the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act I; or (e) any body corporate established,	Goods Transport Agency (GTA)	(a) Any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948(63 of 1948); or (b) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any other law for the time being in force in any part of India; or (c) any co-operative society established by or under any law; or (d) any person registered under the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act; or (e) any body corporate established, by or under any law; or (f) any partnership firm whether registered or not under any law including association of persons; or

Scanned by CamScanner
www.taxguru.in

(d) the words and expressions used and not defined in this notification but defined in the Central Goods and Services Tax Act, the Integrated Goods and Services Tax Act, and the Union Territory Goods and Services Tax Act shall have the same meanings as assigned to them in those Acts.

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(A.P. Tripathi)
Special Secretary

Scanned by CamScanner
www.taxguru.in